उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/5347 /
दो–14–5 / 18

जबलपुर, दिनांक 17/ 12 / 2019

श्रीमती ताराविजय सोनी, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर के विरूद्ध रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी / 4051 / दो–14–5 / 18ए, जबलपुर दिनांक 03.08.2018 द्वारा उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर के न्यायिक शाखा के सेकेण्ड अपील अनुभाग में डी.ए. क. 6 के पद पर कार्यरत रहते हुये प्रकरण सेकेण्ड अपील क. 424 / 2006 (मैना बाई विरूद्ध उमरा बाई एवं अन्य) में अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण सिविल अपील कमाक 25 ए / 2005 आपकी अभिरक्षा से गुम करने के आरोप पर विभागीय जांच की गयी। विभागीय जांच में जांचकर्ता अधिकारी की रिपोर्ट दिनाक 30.07.2019 में आरोप प्रमाणित पाये गये।

विभागीय जांच प्रकरण के समस्त अभिलेखों व साक्षियों के कथनों पर विचारोपरांत जांचकर्ता अधिकारी की रिपोर्ट से पूर्णतः सहमत होते हुये, आपके विरूद्ध अधिरोपित आरोपो का दोषी पाते हुये आपको उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश सेवा (भर्ती, सेवा की सामान्य शर्ते, आचरण, वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 2017 के नियम 16(1) एवं 22 सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(चार) के अंतर्गत आपकी आगामी देय दो वार्षिक वेतनवृद्धियां भविष्य की वेतनवृद्धियों को अप्रभावित करते हुए (Without Cumulative Effect) रोके जाने के दंड से दंडित किया जाता है।

13.12.19
(राजेन्द्र कुमार वाणी)
For रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/5348 /
दो–14–5 / 18

जबलपुर, दिनांक 17/ 12 / 2019

प्रतिलिपि :–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, इंदौर (म.प्र.),
2. रजिस्ट्रार प्रशासन / आई.एल. / न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
4. डिप्टी कंट्रोलर एकाउंटस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्रीमती पद्मिनी स्वामी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर / जांचकर्ता अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, (म.प्र.),
7. एडमिनिस्टेटिव ऑफिसर,स्था. / लेखा / बजट / पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. सहायक स्था. / सेवापुस्तिका / वेतनपत्रक, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
9. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. श्रीमती प्रचीती तराणेकर, जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, (म.प्र.),
11. आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र.,जबलपुर,
12. श्रीमती ताराविजय सोनी, जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर, म.प्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(श्याम बिहारी वर्मा)
रजिस्ट्रार (इंस्पेक्शन)
For

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/5349 /   जबलपुर, दिनांक 17/12/2019
II-14-38/16B

श्री मुकेश कुमार वर्मा, जुडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर के विरूद्ध रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी/1345/दो–14–38/16बी, जबलपुर दिनांक 22.02.2019 द्वारा जारी विभागीय जांच में उन्हें प्रकरण विविध अपील कमांक 110/2005 (कमला बाई विरूद्ध विजय) के अभिलेख गुम करने के आरोप से विमुक्त (Exonerate) किया जाता है।

13.12.19
(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/5350 /   जबलपुर, दिनांक 17/12/2019
II-14-38/2016B

प्रतिलिपि :–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, इंदौर म.प्र.,
2. रजिस्ट्रार प्रशा./ आई.एल./न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
3. श्री व्ही.बी. सिंह, रजिस्ट्रार/जांचकर्ता अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, इंदौर म.प्र.,
4. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
5. ज्वांइट रजिस्ट्रार (एम.) (प्रोटो), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
6. श्री राजेश कुमार शर्मा, डिप्टी रजिस्ट्रार/प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर
7. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. अनुभाग अधि. स्था./पेंशन/लेखा/न्यायिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
9. सहायक स्थापना/पेंशन/वेतन पत्रक/सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
10. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
12. श्री मुकेश कुमार वर्मा, जुडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ इंदौर, म.प्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(श्याम बिहारी वर्मा)
रजिस्ट्रार (इंस्पेक्शन)

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर
// आदेश //

क्रमांक C/5351 /
II-14-38/16

जबलपुर, दिनांक 17/12/2019

श्री सुधीर कुमार जोशी, जुडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर के विरूद्ध रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/1021/दो–14–38/16ए जबलपुर दिनांक 25.02.2019 द्वारा जारी विभागीय जांच में उन्हें प्रकरण विविध अपील कमांक 2331/2004 (सुधीर विरूद्ध जिनेश) के अभिलेख गुम करने के आरोप से विमुक्त (Exonerate) किया जाता है।

(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/5352 /
II-14-38/2016

जबलपुर, दिनांक 17/12/2019

प्रतिलिपि :–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, इंदौर म.प्र.,
2. रजिस्ट्रार प्रशा./ आई.एल./न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
3. श्री व्ही.बी. सिंह, रजिस्ट्रार/जांचकर्ता अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, इंदौर म.प्र.,
4. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
5. ज्वांइट रजिस्ट्रार (एम.) (प्रोटो), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
6. श्री राजेश कुमार शर्मा, डिप्टी रजिस्ट्रार/प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर
7. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. अनुभाग अधि. स्था./पेंशन/लेखा/न्यायिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
9. सहायक स्थापना/पेंशन/वेतन पत्रक/सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
10. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
12. श्री सुधीर कुमार जोशी, जुडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ इंदौर, म.प्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(श्याम बिहारी वर्मा)
रजिस्ट्रार (इंस्पेक्शन)

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/5353 /
दो–14–76 / 15 जबलपुर, दिनांक 17/ 12/2019

श्री अतुल व्यास, जुडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर के विरूद्ध रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी/4371/दो–14–76/15, जबलपुर दिनांक 10.07.2019 द्वारा उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर के न्यायिक शाखा के सेकेण्ड अपील अनुभाग में डी.ए. क्र. 6 के पद पर कार्यरत रहते हुये प्रकरण सेकेण्ड अपील क्र.481/2006 (अहमद बशीर विरूद्ध मोहम्मद नदीम एवं अन्य) के साथ संलग्न सिविल मूल वाद क्रमांक 688/1995 के अभिलेख के दस्तावेज में प्रदर्श पी–1 से प्रदर्श पी–66 तक के दस्तावेज आपकी अभिरक्षा से गुम करने के आरोप पर विभागीय जांच की गयी। विभागीय जांच में जांचकर्ता अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 12.06.2019 में आरोप प्रमाणित पाये गये।

अतः मैं, जांचकर्ता अधिकारी की रिपोर्ट से पूर्णतः सहमत होते हुये, आपको प्रकरण सेकेण्ड अपील क्र.481/2006 (अहमद बशीर विरूद्ध मोहम्मद नदीम एवं अन्य) के साथ संलग्न सिविल मूल वाद क्रमांक 688/1995 के अभिलेख के दस्तावेज में प्रदर्श पी–1 से प्रदर्श पी–66 तक के दस्तावेज आपकी अभिरक्षा से गुम करने का दोषी पाते हुये, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश सेवा (भर्ती, सेवा की सामान्य शर्तें, आचरण, वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 2017 के नियम 16(1) एवं 22 सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(चार) के अंतर्गत आपकी आगामी देय दो वार्षिक वेतनवृद्धियां भविष्य की वेतनवृद्धियों को अप्रभावित करते हुए (Without Cumulative Effect) रोके जाने के दंड से दंडित किया जाता है।

14.11.19
(राजेन्द्र कुमार वाणी)
For रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/5354/
दो–14–76/15 जबलपुर, दिनांक 17/ 12/2019

प्रतिलिपि :–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, इंदौर (म.प्र.),
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर म.प्र.
3. रजिस्ट्रार प्रशासन/आई.एल./न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. श्री व्ही.बी. सिंह, रजिस्ट्रार/जांचकर्ता अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, इंदौर (म.प्र.),
5. एस.पी.एस.ए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
6. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), ... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, स्था./लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. सहायक स्था./सेवापुस्तिका/वेतनपत्रक, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
10. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र.,जबलपुर,
12. श्री अतुल व्यास, जुडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, ग्वालियर म.प्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(श्याम बिहारी वर्मा)
रजिस्ट्रार (इंस्पेक्शन)
For